

दाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना  
दाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमति,  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.  
क्र.पृ.भु./04 भोपाल-03-05.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 304 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 जुलाई 2004—आषाढ़ 25, शक 1926

#### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई 2004

क्र. 2835-207-इकोस-अ(प्र.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 8 जुलाई 2004 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव,

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २००४

## मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३.

## विषय-सूची

धाराएँ :

## अध्याय—१

## प्रारंभिक

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
२. परिभाषाएँ.

## अध्याय—२

## ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड

३. ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड का गठन.
४. बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी.
५. बोर्ड का सम्मिलन.
६. रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयां अविधिमान्य नहीं होंगी.
७. बोर्डों की अधिकारिता और कृत्य.
८. कल्याण निधि का गठन और उसका उपयोजन.
९. उपनिधियों को सूचित और विलीन करने की शक्ति.
१०. बजट.
११. वार्षिक रिपोर्ट.
१२. सेवा और संपरीक्षा.

## अध्याय—३

## कल्याण निधि के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण

१३. निधि का सदस्य.
१४. सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण.
१५. परिचय-पत्र.
१६. सदस्यता समाप्ति.
१७. सदस्यों का रजिस्टर.
१८. सदस्य द्वारा अभिदाय.
१९. अभिदाय के असंदाय का प्रभाव.

## अध्याय—४

## नियोजनों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा अभिदाय का संदाय

२०. रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति.
२१. स्थापना के रजिस्ट्रीकरण की अपेक्षा करने की शक्ति.
२२. स्थापना का रजिस्ट्रीकरण.
२३. कतिपय मामलों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण.
२४. अपील.
२५. अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव.
२६. नियोजकों द्वारा अभिदाय.

## अध्याय—५

## निरीक्षण

२७. निरीक्षकों की नियुक्ति.
२८. निरीक्षक की शक्तियां.

## अध्याय—६

## असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए उपकर आदि

२९. संपत्ति के अंतरण पर अतिरिक्त शुल्क.
३०. कतिपय प्रवर्गों के मोटरयानों पर अतिरिक्त कर.
३१. बन डलाद के विक्रय या प्रदाय पर कल्याण उपकर.
३२. कतिपय गौण खनिजों पर रायल्टी और अनिवार्य भाटक के संबंध में उपबंध.
३३. धारा २९ से ३१ के अधीन उद्ग्रहीत रकम के संग्रहण की प्रक्रिया तथा धारा ३२ के अधीन रकम को पृष्ठक् रखने तथा धारा ८ के अधीन गठित निधि में उन्हें जमा करने के लिए प्रक्रिया.
३४. अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकर.

## अध्याय—७

## शास्ति तथा प्रक्रिया



- ३५. बाधा ढालने के लिए शास्ति.
- ३६. अन्य अपराधों के लिए शास्ति.
- ३७. अपील.
- ३८. जुमाने की वसूली.
- ३९. कंपनियों द्वारा अपराध.
- ४०. अपराधों का संज्ञाय.
- ४१. अभियोजन की परिसीमा.

## अध्याय—८

## प्रकीर्ण

- ४२. छूट देने की शक्ति.
- ४३. अनुसूची का संशोधन.
- ४४. अधिकर्ताओं को नियुक्त करने की बोर्ड की शक्ति.
- ४५. शक्तियों का प्रत्यायोजन.
- ४६. जिला योजना समिति द्वारा जिले में अधिनियम के कार्यान्वयन का अनुश्रवण किया जाना.
- ४७. विवरणियाँ.
- ४८. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.
- ४९. निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति.
- ५०. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.
- ५१. नियम बनाने की शक्ति.
- ५२. विनियम बनाने की शक्ति.
- ५३. बोर्ड द्वारा स्कोरों का तैयार किया जाना.
- ५४. कठिपय विधियों की व्यावृत्ति.
- अनुसूची.



## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १ सन् २००४

## मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३.

[ दिनांक ८ जुलाई, २००४ को राष्ट्रपति जी अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १६ जुलाई, २००४ को प्रधानमंत्री द्वारा प्रकाशित जी गई। ]

मध्यप्रदेश राज्य के ग्रामीण और नगरीय हेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड और कल्याण निधि का गठन करने और उससे संसर्कत या उससे आनुशंगिक विधयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौकवनवे वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

## अध्याय—१

## प्रारंभिक

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, २००३ है।

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

(२) इसका विस्तार अनुसूची में विविरित नियोजनों पर है।

(३) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे, और भिन-भिन हेत्रों के लिए, भिन-भिन नियोजनों के लिए तथा इस अधिनियम के भिन-भिन उपबंधों के लिए भिन-भिन तारीखें नियत की जा सकेंगी।

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

परिभाषाएँ,

- (क) "प्रसुविधा" से अभिप्रेत है ऐसी प्रसुविधा जो धारा ७ की उपचारा (२) के अधीन दी जाए;
- (ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित बोर्ड;
- (ग) "ठेकेदार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी स्थापना के लिए, माल के प्रदाय मात्र अथवा विनिर्माण की वस्तुओं से भिन्न, परिणाम देने हेतु उत्पादन करने के लिए असंगठित कर्मकारों को लगा कर उसका जिम्मा लेता है अथवा जो स्थापना में किसी कार्य के लिए ऐसे कर्मकारों की पूर्ति करता है और इसमें उप-ठेकेदार तथा अधिकर्ता सम्मिलित हैं;
- (घ) किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से लगाए गए किसी असंगठित कर्मकार के संबंध में "नियोजक" से अभिप्रेत है प्रमुख नियोजक और किसी अन्य असंगठित कर्मकार के संबंध में ऐसा व्यक्ति जो स्थापना के क्रियाकलापों पर अंतिम नियंत्रण रखता हो और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति सम्मिलित है जिसे ऐसी स्थापना के क्रियाकलाप सौंपे जाते हों चाहे ऐसा व्यक्ति अधिकर्ता, प्रबंधक या अनुसूचित नियोजन में प्रचलित किसी अन्य नाम से जाना जाता हो;
- (ङ) "स्थापना" से अभिप्रेत है कोई स्थान या परिसर जिसमें उसकी ऐसी प्रसीमा भी सम्मिलित है, जिसमें या जिसके किसी भाग में सामान्यतः कोई अनुसूचित नियोजन चलाया जा रहा है या चलाया जाता है;
- (च) किसी नियोजक द्वारा संबंध में "परिवार" से अभिप्रेत है ऐसे नियोजक के पति-पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, माता, भाई या बहन जो उसके साथ रहता है और उस पर पूर्णतः आकृति है;
- (उ) "निधि" से अभिप्रेत है धारा ८ के अधीन गठित कल्याण निधि;

- (ज) "निरीक्षक" से अभिप्रेत है धारा २७ के अधीन नियुक्त निरीक्षक;
- (झ) "ब्रम आयुक्त" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम, १९६० (क्रमांक २७ सन् १९६०) की धारा ३ के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य के लिए नियुक्त किया गया ब्रम आयुक्त;
- (ञ) इस अधिनियम के अधीन गठित की गई कल्याण निधि के संबंध में "सदस्य" से अभिप्रेत है धारा १४ के अधीन एक सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत असंगठित कर्मकार;
- (ट) "यथास्थिति किसी ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र का सामान्यतः निवासी" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो पूर्वतर बाहर मास के अधिकांश समय में ऐसे क्षेत्र में निवास कर चुका है, तथा उसका इसी प्रकार अगले बाहर मास तक बने रहना प्रत्याशित हो;
- (ठ) "प्रमुख नियोजक" से अभिप्रेत है ऐसा नियोजक जो किसी अनुसूचित नियोजन में किसी ठेकेदार द्वारा या उसके माध्यम से असंगठित कर्मकारों को नियोजित करता हो;
- (ड) "ग्रामीण क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जो नगरीय क्षेत्र न हो;
- (ढ) "अनुसूचित नियोजन" से अभिप्रेत है अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई नियोजन और उसमें सम्मिलित है, ऐसे नियोजन का भाग बनने वाले कार्य की कोई प्रक्रिया या शाखा;
- (ण) "स्कॉम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाई गई स्कॉम;
- (त) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची;
- (थ) "कानूनी कल्याण निधि" से अभिप्रेत है इस अधिनियम से भिन्न किसी राज्य या केन्द्रीय विधान के अधीन कर्मकारों के कल्याण के लिए स्थापित और राज्य सरकार द्वारा इस निर्मित जारी की गई अधिसूचना द्वारा घोषित की गई "कानूनी कल्याण निधि";
- (द) "असंगठित कर्मकार" से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में लगा हुआ है, चाहे मजदूरी के लिए हो या बिना मजदूरी के लिए या जो ऐसे अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में स्वर्यं या उसकी मर्जी से केवल परिवार ब्रम के साथ कार्य के किसी ऐसे स्थान में कार्य करता है/करती है जिसमें उसका घर, खेत या कोई सार्वजनिक स्थान सम्मिलित है जो कि अन्य के नियंत्रणाधीन हो या न हो तथा इसमें सम्मिलित हैं:—
- (एक) ऐसा व्यक्ति जो गृह आधारित कर्मकार या आकस्मिक अथवा संविदा कर्मकार या स्व-नियोजित कर्मकार है; और
- (दो) ऐसा व्यक्ति जिसे किसी नियोजक या ठेकेदार द्वारा कच्चा माल उसे परिवर्तित करने या कोई उत्पाद बनाने या किसी कार्य के लिए दिया जाता हो या फेरी संग्रह कर या गली में बेचने के लिए तैयार माल दिया जाता है या चल या घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराने के लिए यान, औजार या मशीनरी प्रदान की जाती हो,
- किन्तु इसमें किसी नियोजक के परिवार का कोई सदस्य सम्मिलित नहीं है;

- (४) "नगरीय क्षेत्र" से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद २४३-थ के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा "बृहत्तर नगरीय क्षेत्र" और "समुत्तर नगरीय क्षेत्र" के रूप में अधिसूचित क्षेत्र;
- (५) "मजदूरी" का वही अर्थ होगा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ (१९३६ का सं. ४) की घारा २ के खण्ड (छह) में उसके लिए दिया गया है।

### अध्याय—२

#### ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड.

३. (१) राज्य सरकार, ऐसी तारीख से, जो कि अधिसूचना द्वारा नियत की जाए, मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से बोर्ड का गठन करेगी जो इस अधिनियम के अधीन उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करेंगे :

ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के असंगठित कर्मकारों के लिए कल्याण बोर्ड.

परन्तु प्रत्येक बोर्ड के गठन के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।

(२) उपराहा (१) के अधीन गठित प्रत्येक बोर्ड पूर्वोक्त नाम से एक नियमित निकाय होगा, जिसका शास्त्र उत्तराधिकार होगा तथा जिसकी सामान्य मुद्रा होगी और जो उक्त नाम से बाद चलायेगा तथा उक्त नाम से उसके विरुद्ध बाद चलाया जा सकेगा।

(३) प्रत्येक बोर्ड एक अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और पंद्रह से अनधिक उतनी संख्या में अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जो राज्य सरकार द्वारा इसके लिए नियुक्त किए जाएँ;

परन्तु बोर्ड में राज्य सरकार, नियोजकों और असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सदस्यों की एक समान संख्या सम्मिलित होगी और असंगठित कर्मकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे सांगठन एक तिहाई सदस्य महिलाएं होंगी।

(४) बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के नियंत्रण और शर्तें तथा उनको देय येतन और अन्य भर्ते तथा बोर्ड के सदस्यों की आक्रियक रिक्तियों को भरने की रीति ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए,

बोर्ड का सचिव और अन्य अधिकारी।

४. (१) घारा ३ के अधीन गठित किया गया प्रत्येक बोर्ड एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारियों को नियुक्त करेगा जिन्हें कि वह इस अधिनियम के अधीन कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु बोर्ड का सचिव, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया जाएगा:

परन्तु यह और कि एक ही व्यक्ति को दोनों बोर्डों का सचिव नियुक्त किया जा सकेगा।

(२) बोर्ड का सचिव इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा।

(३) बोर्ड के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति के नियंत्रण तथा शर्तें तथा उनको देय येतन तथा भर्ते ऐसे होंगे जैसा कि बोर्ड विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

५. (१) बोर्ड, ऐसे समय और स्थान पर सम्मिलन करेगा और उसके सम्मिलन में (ऐसे सम्मिलन में गणपूर्ति बोर्ड का सम्मिलन भी सम्मिलित है) कारबार के संबंध में प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जैसा कि विहित किया जाए,

(२) अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या यदि वह किसी कारण से बोर्ड के सम्मिलन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो इस संबंध में अध्यक्ष (चेयरपर्सन) द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया गया कोई सदस्य और ऐसे नामनिर्देशन की अनुपस्थिति में, सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य, सम्मिलन की अध्यक्षता करेगा।

COURT BOOK  
POWERING LEGAL CLARITY

(३) समस्त प्ररन जो बोर्ड के किसी समिति के समय आते हों, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों अनुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और मर्तों के घरावर रहने की दशा में अधिक (चेयरपर्सन) या उसकी अनुपस्थित में, अधिकता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णयक मत होगा।

रिक्तियों आदि से बोर्ड की कार्रवाइयां अविधिपान्य नहीं होतीं।

६. बोर्ड का कोई कार्य या कार्रवाइयां,—

- (क) बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि; या
- (ख) बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति की नियुक्ति में किसी त्रुटि; या
- (ग) बोर्ड की प्रक्रिया में किसी अनियमितता जिससे मामले के गुणानुण पर प्रभाव नहीं पड़ता हो, के कारण अविधिपान्य नहीं होगा/होगी।

बोर्डों की अधिकारिता और कार्य-

७. (१) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड की अधिकारिता का विस्तार उन असंगठित कर्मकारों पर होगा जो सामान्यतया राज्य के क्रमसः ग्रामीण और ग्रामीण बोर्डों में निवास करते हैं।

(२) उपर्याप्त (१) के उपर्याप्तों के अधीन रहते हुए बोर्ड, धारा १३ के अधीन हकदार सदस्यों को निम्नलिखित में से समस्त या कोई प्रसुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) दुर्घटना की दशा में किसी सदस्य को तुरन्त सहायता;
- (ख) उन सदस्यों को यैशन जो ६० वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों;
- (ग) गृह निर्माण के लिए सदस्य को ऋण और अग्रिम;
- (घ) सदस्यों के समूह बीमा के लिए प्रीमियम का भुगतान;
- (ङ) बच्चों की शिक्षा के लिये वित्तीय सहायता;
- (च) किसी सदस्य या उसके ऐसे आक्रिति को जिसे विहित किया जाए, की गंभीर बीमारी के उपचार के लिए सहायता;
- (छ) महिला सदस्यों को प्रसूति प्रसुविधा; और
- (ज) ऐसी अन्य प्रसुविधाएं जिन्हें विहित किया जाए।

(३) किसी प्रसुविधा को प्रदान करने की पात्रता का मानदण्ड, वह पैमाना जिस पर यह दी जा सकेगी, आवेदन करने और मंजूर करने की प्रक्रिया तथा प्रसुविधा प्रदान करने से संसकृत अन्य आनुपर्याप्तिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि बोर्ड इस नियमित बनाई स्कीम द्वारा उपर्याप्त करे।

(४) बोर्ड किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी नियोजक को किसी स्थापना में असंगठित कर्मकारों के कल्याण से संसकृत प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के लिए ऋण या सहायता प्रदान कर सकेगा।

(५) बोर्ड, किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकरण या किसी ऐसे नियोजक को वार्षिक सहायता अनुदान संदर्भ कर सकेगा।

जो असंगठित कर्मकारों और उनके परिवार के सदस्यों की प्रवृत्तियों के लिए बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट स्तर के कल्याण उपाय और सुविधाएं, बोर्ड के समापनप्रद रूप में उपलब्ध कराता हो, तथापि किसी स्थानीय प्राधिकरण या नियोजक को सहायता अनुदान के रूप में देय रकम,—

- (क) राज्य सरकार या इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा यथाअवधारित कल्याण उपाय और सुविधाएं उपलब्ध कराने में खर्च की गई रकम; या
- (ख) ऐसी रकम जो विहित की जाए,

इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी :

परन्तु कोई भी सहायता अनुदान किसी ऐसे कल्याण उपायों और सुविधाओं के संबंध में देय नहीं होगा जहाँ यथा पूर्वोक्त अवधारित उस पर खर्च की गई रकम इस निमित्त विहित की गई रकम से कम है.

(८) (१) राज्य सरकार द्वारा धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड गठित करने के लिए नियत की गई तारीख से क्रमशः मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि और मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के नाम से ज्ञात निधियों का गठन किया जाएगा।

कल्याण निधि का गठन और उसका उपयोजन.

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि, मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी जबकि मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि, मध्यप्रदेश असंगठित नगरीय कर्मकार कल्याण बोर्ड में निहित होगी और उसके द्वारा प्रशासित की जाएगी।

#### (३) निधि में,—

- (क) राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा संबंधित बोर्ड को दिए गए अनुदान और ऋण;
- (ख) निधि के सदस्यों से प्राप्त अभिदाय;
- (ग) धारा २६ के अधीन नियोजकों से प्राप्त अभिदाय;
- (घ) धारा ३३ और ३४ के उपबंधों के अनुसार निधि में देय समस्त धन,

जमा किए जाएंगे।

#### (४) निधि को,—

- (क) धारा ७ के अधीन बोर्ड के कृत्यों के निर्वहन में उसके व्ययों;
- (ख) बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारित्रिक; और
- (ग) इस अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों पर व्ययों, के लिए उपयोजित किया जाएगा।

(५) बोर्ड किसी वित्तीय वर्ष में अपने सदस्यों, अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों तथा अन्य पारित्रिक के मद्दे तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने कुल व्ययों के पंद्रह प्रतिशत से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा।



उपनिधियों को १. (१) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कल्याण बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए सुनित और विसीन नाम से उपनिधि सूचित कर सकेंगी और निदेश दे सकेंगी कि भादेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन एक करते की शक्ति। या अधिक उपनिधियों में जमा कर दिया जाए।

(२) उपधारा (१) में निर्दिष्ट आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होंगे,—

- (एक) वह क्षेत्र और/या अनुसूचित नियोजन जिसके लिए उपनिधि सूचित की जाना है;
- (दो) वह सीमा जिस तक और वह रीति जिसमें आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को निधि में जमा धन, और भावी प्रोटोकल उपनिधि में जमा की जाना है;
- (तीन) इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से अनअसंगत यह मेकेनिज्म यह सुनिश्चित करने के लिए कि उपनिधि में जमा किया गया धन खण्ड (एक) में निर्दिष्ट क्षेत्रों और/या अनुसूचित नियोजन के निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए उपयोजित किया जाए; और
- (चार) उपनिधि के सूचन से आनुषंगिक कोई अन्य मामले :

परन्तु खण्ड (तीन) में निर्दिष्ट मेकेनिज्म में ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए बोर्ड की उप समिति का गठन भी सम्भविष्ट हो सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसी उप-समिति में सहयोजित सदस्य सम्मिलित होंगे, जो कि बोर्ड के सदस्य न हों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में नामनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जैसी कि विहित की जाए :

परन्तु यह भी कि सहयोजित सदस्यों को उप-समिति के सम्मिलन में जिसके लिए उन्हें नामनिर्दिष्ट किया गया हो भाग सेने का अधिकार होगा। परन्तु उन्हें सम्मिलन में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(३) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, बोर्ड की सलाह पर अथवा अन्यथा निदेश दे सकेंगी कि:—

- (एक) उपधारा (१) के अधीन सूचित की गई किसी उपनिधि को दो या अधिक उपनिधियों में और विभाजित किया जाए;
- (दो) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सूचित की गई एक या अधिक उपनिधियों का उस निधि में विलय किया जाए जिसमें से उसे सूचित किया गया था;
- (तीन) उपधारा (१) के अधीन और/अथवा पूर्वोक्त खण्ड (एक) के अधीन सूचित की गई दो या अधिक उपनिधियां एकल उपनिधि में विलय की जाएं,

(४) उपधारा (३) के अधीन पारित किए गए आदेश में उपधारा (२) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), और (चार) में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित अंतर्विष्ट रहेंगे।

(५) बोर्ड का यह कर्तव्य होगा कि वह इस धारा के अधीन पारित किए गए प्रत्येक आदेश को प्रभावशील करे।

१०. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जैसा कि विहित किया जाए, बोर्ड को प्राक्कलित प्राप्तियां और व्ययों को दर्शित करते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के लिए उसका बजट तैयार करेगा और उसे राज्य सरकार को अप्रेयित करेगा।

११. बोर्ड, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर जैसा कि विहित किया जाए, पूर्व वित्तीय वर्ष के दीर्घ उसके क्रियाकलापों का एक पूर्ण सेखा देते हुए उसकी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

१२. (१) बोर्ड, उचित सेखा और अन्य सुसंगत अधिलेख संभारित करेगा तथा सेखाओं का एक वार्षिक विवरण, सेखा और संपरीक्षा, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जैसा कि विहित किया जाए।

(२) बोर्ड के सेखाओं की संपरीक्षा, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा, द्वारा मध्यप्रदेश स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४३ सन् १९७३) के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और उक्त अधिनियम के उपबंध बोर्ड पर इस प्रकार लगाए जाने कि यह एक स्थानीय निकाय है।

(३) बोर्ड, राज्य सरकार को संपरीक्षक को रिपोर्ट के साथ उसके सेखाओं की संपरोक्षित प्रति, ऐसी तारीख के पूर्व प्रस्तुत करेगा जैसी कि विहित की जाए।

(४) राज्य सरकार, वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षक को रिपोर्ट, उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र विधान सभा के पटल पर रखवाएगी।

### अध्याय—३

#### कल्याण निधि के सदस्य के रूप में असंगठित कर्मकारों का रजिस्ट्रीकरण

१३. इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत निधि का सदस्य प्रत्येक असंगठित कर्मकार, बोर्ड द्वारा इस अधिनियम के अधीन प्रशासित निधि से उपबंधित प्रसुविधाओं के लिए हकदार होगा।

१४. (१) प्रत्येक असंगठित कर्मकार जिसने अठारह वर्ष की आयु पूर्ण कर सी है, किन्तु साठ वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है और जो किसी अन्य कानूनी कल्याण निधि के अधीन प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र नहीं है, इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होगा :

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित एक या अधिक मानदंड विहित कर सकेगी जिसकी पूर्ति न होने पर असंगठित कर्मकार सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण हेतु अपात्र हो जायेगा:—

(एक) भूमि के खाते का अधिकतम आकार,

(दो) परिवार की अधिकतम आय :

परन्तु यह और कि राज्य सरकार राज्य में भिन्न-भिन्न प्रवर्गों की या भिन्न-भिन्न भागों में स्थित भूमियों के लिए भूमि के खाते के भिन्न-भिन्न अधिकतम आकार विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(२) सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्र के निवासी असंगठित कर्मकार भाग C के अधीन गठित मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे, जबकि नगरीय क्षेत्र में सामान्यतः निवास करने वाले असंगठित कर्मकार मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र होंगे :

परन्तु कोई भी कर्मकार एक साथ दोनों निधियों के सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए पात्र नहीं होगा।

(३) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन ऐसे प्ररूप में, जैसा कि विनियमों में विनिर्दिष्ट किया जाए तथा ऐसे अधिकारी को किया जाएगा जिसे कि इस संबंध में संबंधित बोर्ड द्वारा प्राप्तिकृत किया जाए।

(४) उपधारा (३) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ ऐसे दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे तथा उसके साथ पचोहरा रूपए से अनधिक की ऐसी भौतिक जाएंगी जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाए।

(५) यदि उपधारा (३) के अधीन संबंधित बोर्ड द्वारा प्राप्तिकृत अधिकारी का समाधान हो जाता है कि आवेदक ने इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का अनुपालन कर दिया है तो वह इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में कर्मकार का नाम रजिस्ट्रीकृत करेगा :

परन्तु रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना नामंजूर नहीं किया जाएगा।

(६) उपधारा (५) के अधीन विनिश्चय से व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर संबंधित बोर्ड के सचिव या इस निमित बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को अपोल कर सकेगा तथा ऐसी अपोल पर सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा :

परन्तु सचिव या इस निमित बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान होने पर अपोल ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति सभी पर अपोल फाइल करने से समुचित कारण से निवारित था।

(७) बोर्ड का सचिव ऐसे रजिस्टर संधारित करवाएगा जैसा कि विहित किए जाएं।

#### परिचय-पत्र

१५. संबंधित बोर्ड, प्रत्येक सदस्य को एक परिचय-पत्र, जिस पर उसका छायाचित्र (फोटोग्राफ) चिपका हो, देगा तथा जिसमें उसके द्वारा अनुसूचित नियोजन में किए गए कार्य के बीचों की प्रविधि करने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

#### सदस्यता सम्पादित

१६. (१) ऐसा असंगठित कर्मकार, जो इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है, को सदस्यता,—

(एक) धारा १९ के प्रवर्तन के परिणामस्वरूप; या

(दो) जब वह,—

(क) साठ वर्ष की आयु पूरी कर लेता है; या

(ख) किसी अन्य कानूनी कल्पाण निधि के अधीन सदस्य के रूप में, परिचय पत्रभारक के रूप में या हिताधिकारी आदि के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाता है जो ऐसी निधि से प्रसुविधा प्राप्त करने की उसे पात्रता प्रदान करता है,

समाप्त हो जाएगी।

(२) उपधारा (१) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई व्यक्ति साठ वर्ष की आयु पूर्ण करने के ठीक पूर्व संगतार विगत तीन वर्ष तक सदस्य रहा है तो वह ऐसी प्रसुविधा प्राप्त करने का पात्र होगा जैसी कि विहित की जाए,

#### सदस्यों का रजिस्टर

१७. किसी स्थापना के संबंध में प्रत्येक नियोजक जिसको इस अधिनियम की धारा २१ के अधीन यह अधिनियम लागू होता है, एक रजिस्टर ऐसे प्ररूप में जैसा कि विहित किया जाए, संधारित करेगा जिसमें उसके द्वारा नियोजित सदस्यों के नियोजन के बीचों दर्शाए जाएंगे, इस प्रकार संधारित रजिस्टर का संबंधित बोर्ड के सचिव द्वारा या इस निमित बोर्ड द्वारा सम्बन्धित किसी अन्य अधिकारी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के निरीक्षण किया जा सकेगा।

१८. ऐसा असंगठित कर्मकार जो इस अधिनियम के अधीन सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है जब तक कि वह साठ वर्ष की आयु पूरी नहीं कर सकता है तब तक ऐसी दर पर जैसी कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, निधि में अभिदाय करेगा तथा भिन्न-भिन्न वर्गों के असंगठित कर्मकारों के लिए अभिदाय की भिन्न-भिन्न दरें विनिर्दिष्ट की जा सकेंगी :

परन्तु अभिदाय की दरें समान्यतया प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पुनरीक्षित की जाएंगी।

१९. जहां किसी सदस्य ने धारा ८ के अधीन उस तारीख के पश्चात् जब अभिदाय शोध्य हो गया हो, लगातार एक वर्ष से अन्यून की कालावधि तक अपना अभिदाय संदर्भ नहीं किया है तो वह सदस्य नहीं रह जाएगा : अभिदाय के असंदाय का प्रभाव।

परन्तु यदि बोर्ड के सचिव का यह समाधान हो जाता है कि अभिदाय का असंदाय युक्तियुक्त हेतुक से था तथा असंगठित कर्मकार बकाया जमा करने का इच्छुक है तो वह ऐसे कर्मकार को अभिदाय का बकाया जमा करने की अनुमति दे सकेगा तथा बकाया के जमा कर दिए जाने पर, कर्मकार का रजिस्ट्रीकरण पुनःस्थापित हो जाएगा।

#### अध्याय—४

#### नियोजकों के कतिपय प्रवर्गों द्वारा अभिदाय का संदाय

२०. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा,—

रजिस्ट्रीकरण  
अधिकारी की  
नियुक्ति।

- (क) ऐसे व्यक्तियों को जो सरकार या स्थानीय निकाय के अधिकारी हों और जिन्हें वह ठचित समझे, इस अधिनियम की धारा २२ के प्रयोजन के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त कर सकेंगी; और
- (ख) ऐसी सीमा परिवर्तित कर सकी जिसके भीतर कोई रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा।

२१. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, यह अपेक्षा कर सकती कि ऐसे मानदंड तथा शर्तें, जैसा कि अधिसूचना में नियत की जाएं, को पूर्ति करने वाली प्रत्येक स्थापना इस अधिनियम के उपर्योगों के अनुसार स्वयं को रजिस्ट्रीकृत कराएगी तथा तब यह अधिनियम प्रत्येक ऐसी स्थापना को स्वागू हुआ माना जाएगा।

स्थापना के  
रजिस्ट्रीकरण की  
अपेक्षा करने की  
शक्ति।

२२. (१) प्रत्येक नियोजक,—

स्थापना का  
रजिस्ट्रीकरण।

- (क) ऐसी स्थापना के संबंध में जिसको यह अधिनियम धारा २१ के अधीन कोई अधिसूचना जारी होने पर स्वागू होता है; और
- (ख) किसी अन्य स्थापना के संबंध में, जिसको यह अधिनियम ऐसी अधिसूचना जारी होने के पश्चात् ऐसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा,

उस तारीख से जिसको यह अधिनियम-ऐसे स्थापना के लिए स्वागू होता है, साठ दिन की कालावधि के भीतर ऐसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन करेगा:

परन्तु रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पूर्वोक्त कालावधि का अवसान होने के पश्चात् कोई ऐसा आवेदन ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक समुचित कारण से ऐसी कालावधि के भीतर आवेदन करने से निवारित था।

(२) उपचारा (१) के अधीन प्रत्येक आवेदन ऐसे प्रृष्ठ में होगा, उसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्भूत होंगी तथा वह ऐसी फीस के साथ होगा जैसी कि विहित की जाएं।

(३) उपचारा (१) के अधीन ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ऐसी स्थापना को रजिस्ट्रीकृत करेगा तथा नियोजक को ऐसे प्रृष्ठ में तथा ऐसे समय के भीतर और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जैसी कि विहित की जाएं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करेगा।

(४) जहां इस धारा के अधीन किसी स्थापना के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् ऐसी स्थापना के संबंध में उसके स्थानित्य या प्रबंधन या अन्य विहित विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है, तो नियोजक द्वारा ऐसे परिवर्तन संबंधी विशिष्टियों की सूचना रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को ऐसे परिवर्तन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसे प्रृष्ठ में दी जाएगी जैसा कि विहित किया जाए।

**कठिनपय भाग्यतों में रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण।**

२३. यदि रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का इस निमित उसको किए गए किसी निर्देश पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि किसी स्थापना का रजिस्ट्रीकरण किसी सारखान तथा के दुर्बंधप्रदेशन से या छिपाने से अभिप्राप्त किया गया है या ऐसी स्थापना द्वारा किए गए किसी संकर्म के संबंध में इस अधिनियम के उपचार का अनुपालन नहीं किया गया है या यह कि किसी अन्य कारण से रजिस्ट्रीकरण अनुपयोगी या प्रभावहीन हो गया है तथा उसे प्रतिसंहृत किया जाना अपेक्षित है, तो वह स्थापना के नियोजक को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण प्रतिसंहृत कर सकेगा।

**अधीन.**

२४. (१) धारा २३ के अधीन किए किसी आदेश से व्यक्ति, उस तारीख से जिसको उसे आदेश संसूचित किया है, तीस दिन के भीतर अधीन अधिकारी को अधीन प्रस्तुत कर सकेगा जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित नामनिर्दिष्ट व्यक्ति होगा:

परन्तु अधीन अधिकारी तीस दिन की उक्त कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् अधीन ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अधीनार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अधीन फाइल करने से निवारित था।

(२) उपचारा (१) के अधीन अधीन प्राप्त होने पर, अधीन अधिकारी अधीनार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् प्रतिसंहरण के आदेश की व्याख्या संभव शीघ्रता के साथ पुष्टि कर सकेगा, उसे उपांतरित कर सकेगा या उत्तर सकेगा।

**अरजिस्ट्रीकरण का प्रभाव।**

२५. ऐसी स्थापना का जिसको धारा २१ के अधीन यह अधिनियम सागू होता है नियोजक,—

- (क) धारा २१ के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने के लिए अपेक्षित ऐसी स्थापना की दशा में, किन्तु जो उस धारा के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की गई है;
- (ख) ऐसी स्थापना की दशा में जिसके संबंध में रजिस्ट्रीकरण धारा २३ के अधीन प्रतिसंहृत किया गया है तथा धारा २४ के अधीन ऐसी अधीन को प्रस्तुत करने के लिए विहित कालावधि के भीतर ऐसे प्रतिसंहरण के आदेश के विरुद्ध कोई अधीन प्रस्तुत नहीं की गई जहां ऐसी अधीन इस प्रकार प्रस्तुत की गई है, ऐसी अधीन खारिज कर दी गई है,

यथास्थिति धारा २२ की उपचारा (१) में निर्दिष्ट कालावधि का अवसान हो जाने के पश्चात् या धारा २३ के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रतिसंहरण होने के पश्चात् या धारा २४ के अधीन अधीन प्रस्तुत करने की कालावधि का अवसान होने के पश्चात् या अधीन के खारिज होने के पश्चात् स्थापना में असंगठित कर्मकारों को नियोजित नहीं करेगा।

**नियोजकों द्वारा अभिदाय।**

२६. (१) प्रत्येक नियोजक, जिसकी स्थापना का रजिस्ट्रीकरण धारा २१ के अधीन अपेक्षित है, प्रत्येक मास की १५ तारीख के पूर्व उपचारा (२) में विनिर्दिष्ट बोर्ड को, उसके द्वारा पूर्व मास के दौरान असंगठित कर्मकारों को देय

मजदूरी की पांच प्रतिशत से अधिक ऐसे प्रतिशतता के समतुल्य राशि जैसी कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, देगा।

(२) कोई नियोजक उपचारा (१) के अधीन अपना अभिदाय मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड या मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को संदेत करेगा जो इस बात पर निर्भर करेगा कि उसकी स्थापना कहाँ अवस्थित है, नगरीय हेत्र में या ग्रामीण हेत्र में।

(३) उपचारा (१) के अधीन संदेय अभिदाय, सचिव या बोर्ड के ऐसे अन्य अधिकारी जिसे बोर्ड द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, के पक्ष में डिमांड फ्रॅट द्वारा संदेत किया जाएगा जिसके साथ ऐसे प्रफूल्य में जैसा कि बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, विवरण पत्र संलग्न किया जाएगा।

(४) उपचारा (१) के अधीन संदेय अभिदाय के परिणामस्वरूप, नियोजक द्वारा असंगठित कर्मकार को संदेय मजदूरी में से कोई कटौती नहीं की जाएगी।

(५) यदि बोर्ड की यह राय है कि इस अधिनियम के अधीन उपचारा (१) में विनिर्दिष्ट तारीख को नियोजक द्वारा देय किसी राशि का संदेय नहीं किया गया है तो वह एक मांग नोटिस ऐसे प्रफूल्य में जैसा कि विहित किया जाए, जारी करेगा जिसमें नियोजक से अपेक्षा की जाएगी कि वह एक मास के भीतर राशि जमा करे या यह कारण बताए कि क्यों न इसे उससे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर बसूल कर ली जाए।

(६) यदि उपचारा (५) के अधीन जारी नोटिस के अनुसरण में कोई नियोजक नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर रकम जमा करने में और साथ ही बोर्ड के समाधानप्रद रूप में कारण बताने में असफल रहता है तो बोर्ड, संबंधित जिले के कलक्टर को एक प्रमाण-पत्र उसमें कथित रकम की बसूली भू-राजस्व की बकाया की तौर पर करने हेतु जारी कर सकेगा और तदुपरि कलक्टर उस रकम की भू-राजस्व की बकाया के तौर पर बसूल करने के लिए अग्रसर होगा और रकम को बोर्ड को विप्रेषित कर देगा:

पत्तु यदि नियोजक उपचारा (५) के अधीन जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में कारण बताते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत कर देता है तो ऐसे अभ्यावेदन पर विचार करने, ऐसी जांच जैसी कि आवश्यक समझी जाए, करने और अभ्यावेदन रद्द करने के कारण देते हुए विस्तृत आदेश प्रतिक्रिया के बाद ही उपर्युक्तानुसार प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

(७) उपचारा (५) और (६) के अधीन बोर्ड की शक्तियों का उसके सचिव द्वारा, और ऐसे अन्य अधिकारियों द्वारा जो कि बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राप्तिकृत किए जाएं, प्रयोग किया जाएगा।

#### अध्याय-५

##### निरीक्षण

२७. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, अपने ऐसे अधिकारियों, बोर्ड के अधिकारियों, और धारा ४४ के अधीन नियुक्त किए गए उसके (बोर्ड के) अधिकारियों के ऐसे अधिकारियों को, जैसा वह उचित समझे इस अधिनियम के प्रयोगन के लिए निरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकेंगी और उन्हें ऐसी स्थानीय सीमाएं समनुदेशित कर सकेंगी जैसी कि वह उचित समझे।

निरीक्षकों की नियुक्ति।

(२) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक त्रिम आयुक्त के नियंत्रण के अध्यधीन होगा और वह त्रिम आयुक्त के साधारण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा और अपने कृत्यों का पालन करेगा।

(३) इस धारा के अधीन नियुक्त किया गया प्रत्येक निरीक्षक, भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा २१ के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

निरीक्षक की  
शक्तियाँ.

२८. (१) इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, कोई निरीक्षक, उन स्थानीय सीमाओं के भीतर जिनके लिए उसे नियुक्त किया गया है तथा अध्याय-४ के उपबंधों को प्रवर्तित करने की दृष्टि से,—

- (क) समस्त युक्तियुक्त समयों पर, अपने ऐसे सहायकों (यदि कोई हों), के साथ जो कि सरकारी या किसी स्थानीय या अन्य स्तोक प्राधिकारी की सेवा के व्यक्ति हों, किन्हीं परिसरों या स्थान में जहाँ असंगठित कर्मकार नियोजित हैं या जहाँ से उन्हें (कर्मकारों को) कार्य दिया जाता है, किसी रजिस्टर या अभिलेख या नोटिस के जिनका वहाँ रखा जाना या प्रदर्शित किया जाना इस अधिनियम या किसी अन्य अधिनियम के द्वारा या उनके अधीन अपेक्षित है, परीक्षण के प्रयोजन के लिए प्रवेश कर सकेगा;
- (ख) किसी ऐसे व्यक्ति का परीक्षण कर सकेगा जो उस परिसर या स्थान में पाया जाए, और जिसके बारे में उसमें नियोजित असंगठित कर्मकार के होने का विश्वास करने के लिए उसके पास युक्तियुक्त कारण है या वहाँ उसे कार्य दिया जाता है;
- (ग) असंगठित कर्मकार को काम देने वाले व्यक्ति से, कोई सूचना देने की अपेक्षा कर सकेगा जिसका दिया जाना उसकी शक्ति के अधीन है और जो उन व्यक्तियों के नाम और पते से संबंधित है जिनके लिए कार्य दिया जाता है या जिनसे कार्य लिया जाता है और उनका कार्य के लिए भुगतान किया जाता है;
- (घ) ऐसे रजिस्टर, मजदूरी के अभिलेख या नोटिस अथवा उनके प्रभागों की प्रतियाँ अधिगृहीत करेगा या लेगा जो कि वह इस अधिनियम के अधीन अपराध के संबंध में सुरक्षित समझे, जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण है कि वह नियोजक द्वारा किया गया है; और
- (ङ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसा कि विहित किया जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकार या श्रम आयुक्त द्वारा इस निमित्त जारी साधारण या विशेष आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(२) कोई व्यक्ति जिससे उपधारा (१) के अधीन निरीक्षक द्वारा किसी दस्तावेज को प्रस्तुत करने या किसी जानकारी को देने की अपेक्षा की जाती है, वह भारतीय दंड संहिता, १८६० (१८६० का ४५) की धारा १७५ और १७६ के अधीन अर्द्ध के अन्तर्गत ऐसा करने के लिए विधिक रूप से बाध्य समझा जाएगा।

(३) दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) के उपबंध जहाँ तक हो सके, उपधारा (१) के अधीन तत्त्वान्वयों और अभिग्रहण पर उसी प्रकार सामूहिक जैसे वह उक्त संहिता की धारा १४ के अधीन जारी प्राधिकारी के बारंट के अधीन तत्त्वान्वयों और अभिग्रहण को सामूहिक होते हैं।

#### अध्याय-६

#### असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए उपकर आदि

सम्पत्ति के अंतराण पर  
अतिरिक्त शुल्क.

२९. अचल सम्पत्ति के विक्रय, दान या बंधक से संबंधित लिखतों पर भारतीय स्टान्ड अधिनियम, १८९९ (१८९९ का २) के अधीन अधिरोपित शुल्क को, यथास्थिति, ऐसी सम्पत्ति के, मूल्य के, या बंधक की दशा में ऐसे लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम के, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से बढ़ाया जाएगा, जैसी कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे:

परन्तु बंधक के संबंध में अधिरोपित ऐसा अतिरिक्त स्टान्ड शुल्क, उस पर स्टान्ड शुल्क की रकम से अधिक नहीं होगा:

परन्तु यह और कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, १८९९ या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन स्टाम्प शुल्क के भुगतान से एट प्राप्त किसी लिखत के संबंध में कोई अतिरिक्त शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

३०. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट मोटरयानों पर तिमाही कर की दर उस दर से बढ़ाइ जाएगी जो पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जैसी राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

कठिपय प्रवर्तनों के  
मोटरयानों पर  
अतिरिक्त कर।

३१. (१) विक्रय की गई और प्रदाय की गई प्रत्येक वन उत्पाद पर वन विभाग द्वारा ऐसे मूल्य के बिस पर ऐसा वन उत्पाद बेचा या प्रदाय किया जाता है, एक प्रतिशत से अनधिक ऐसी दर से कल्याण उपकर उदगमीत और संग्रहीत किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, विनिर्दिष्ट करे।

बन उत्पाद के विक्रय  
या प्रदाय पर कल्याण  
उपकर।

(२) उपराई (१) के अधीन उदगमीत कल्याण उपकर, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन वन उत्पाद पर उदग्रहणीय किसी कर के अतिरिक्त होगा।

(३) वन विभाग द्वारा विक्रय किये गये या प्रदाय किये गये वन उत्पाद के संबंध में उपराई (१) के अधीन देय कल्याण उपकर उस व्यक्ति द्वारा देय होगा जिसको वन उत्पाद विक्रय या प्रदाय किया जाता है और ऐसे विक्रय या प्रदाय से संबंधित वन विभाग के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ऐसे विक्रय या प्रदाय के समय संग्रहीत किया जाएगा और वसूल किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण।—**अभिव्यक्ति "वन विभाग" और "वन उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो मध्यप्रदेश कराधान अधिनियम, १९८२ (क्रमांक १५ सन् १९८२) में उसे समनुदेशित किया गया है।

३२. राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से खान और खनिज (विनियम और विकास) अधिनियम, १९५७ (१९५७ का सं. ६७) की धारा १५ की उपराई (३) के अधीन मध्यप्रदेश गौण खनिज नियम, १९९६ की अनुसूची-१ में सम्मिलित गौण खनिज के संबंध में देय रायल्टी अवध्या अनिवार्य भाटक के पांच प्रतिशत के बराबर रकम पृथक् रखी जाएगी तथा धारा ३३ के उपर्योगों के अनुसार अदौ की जाएगी।

कठिपय गौण खनिजों  
पर रायल्टी और  
अनिवार्य भाटक के  
संबंध में उपर्योग।

३३. (१) धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन उदगमीत रकम: अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, मोटर यान कर तथा कल्याण उपकर तथा धारा ३२ के अधीन पृथक् की गई रायल्टी या अनिवार्य भाटक के आगम को प्रथमतः संग्रहीत किया जाएगा और उसे संचित निधि में ऐसी रीति में जैसी कि विहित की जाए, जमा किया जाएगा।

धारा २९ से ३१ के  
अधीन उदगमीत रकम  
के संग्रहण की प्रक्रिया  
धारा ३२ के अधीन  
रकम को पृथक् रखने  
तथा धारा ८ के अधीन  
गठित निधि में उसे  
जमा करने के लिए  
प्रक्रिया।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने पर विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन वसूल किए गए आगम तथा धारा ३२ के अधीन पृथक् रखी गई रकम के समतुल्य रकम को संचित निधि में से आहरित करेगी और इस प्रकार आहरित रकम को वित्तीय वर्ष की ३१ जुलाई तक धारा ८ के अधीन गठित निधियों में निम्नलिखित रीति में संदर्भ करेगी और उक्त निधि में ऐसी जमा राशि राज्य की संचित निधि पर प्रभारित होगी :—

(एक) धारा ३१ तथा ३२ के अधीन वसूल की गई रकम मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा की जाएगी;

(दो) धारा ३० के अधीन वसूल की गई रकम मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा की जाएगी;

(तीन) धारा २९ के अधीन यस्तु की गई रकम धारा ८ के अधीन गठित दोनों निधियों के बीच ऐसी रीति में विभाजित की जाएगी जैसी कि विहित की जाए.

**अधिसूचित कृषि उपज के विक्रय पर कल्याण उपकरण**

३५. (१) प्रत्येक अधिसूचित कृषि उपज, जिस पर मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा १९ के अधीन बाजार फीस उदागृहीत की जाती है, के विक्रय पर कल्याण उपकर ऐसी दर से जो बाजार फीस के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, जैसा कि राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उदागृहीत किया जाएगा।

(२) उपधारा (१) के अधीन कल्याण उपकर को उक्त धारा १९ के अधीन उदागृहीत एवं संगृहीत की जाने वाली बाजार फीस के साथ मंडी समिति द्वारा संगृहीत किया जाएगा।

(३) कल्याण उपकर उसी व्यक्ति द्वारा संदत किया जाएगा जो उक्त धारा १९ की उपधारा (२) के अधीन बाजार फीस संदत करने के दायी हैं।

(४) मंडी समिति द्वारा प्रत्येक माह संगृहीत कल्याण उपकर की रकम मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड को पश्चात्कर्ता माह की १५ तारीख तक प्रेषित की जाएगी तथा बोर्ड इस प्रकार प्राप्त की गई समस्त रकम को मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण निधि में जमा करेगा।

(५) मंडी समिति द्वारा कल्याण उपकर के संग्रहण, उसका लेखा रखने तथा बोर्ड को अंतरण करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी कि विहित की जाए।

**स्पष्टीकरण—**अभिव्यक्ति “मंडी समिति”, “बाजार फीस” तथा “अधिसूचित कृषि उपज” के वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) में क्रमसः द्वारे लिए समनुदेशित किये गये हैं।

#### अध्याय-७

#### णास्ति तथा प्रक्रिया

भाषा छालने के लिए  
णास्ति

३५. (१) जो कोई किसी निरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा ढालेगा या किसी स्थापना के संबंध में इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्राप्तिकृत किसी निरीक्षण, परीक्षण, जांच या अन्वेषण करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा देने से इकार करेगा या जानबूझकर उपेक्षा करेगा, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुमानि से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

(२) जो कोई, किसी निरीक्षक द्वारा मांग किए जाने पर इस अधिनियम के अनुसरण में रखे गये किसी रजिस्टर या अन्य दस्तावेज को पेश करने से जानबूझकर इन्कार करेगा अथवा किसी ऐसी बात को निवारित करेगा या निवारित करने का प्रयास करेगा अथवा कोई ऐसी बात करेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उससे किसी व्यक्ति के, इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों के अनुसरण में कार्य करने वाले किसी निरीक्षक के समक्ष उपसंचात होने से, या उसके द्वारा परीक्षण किये जाने से निवारित किए जाने की संभावना है, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास तक हो सकेगी, या जुमानि से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

अन्य अपार्टमेंट के लिए  
णास्ति

३६. (१) जो कोई, इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध का या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का अनुपालन करने में असफल रहेगा वह, यथास्थिति, ऐसे प्रत्येक उल्लंघन या असफलता के लिए जुमानि से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, और यथास्थिति, जारी रहने वाले उल्लंघन या असफलता की दशा में, ऐसे अतिरिक्त जुमानि से, जो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसा उल्लंघन या असफलता के प्रथम उल्लंघन या असफलता के लिए टोपसिट्टि के पश्चात् जारी रहती है एक सौ रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।



(२) उपराहा (१) के अधीन कोई शास्ति व्रम आयुक्त द्वारा या सहायक व्रम आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जाए, अधिरोपित की जा सकेगी।

(३) कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि संबंधित व्यक्ति को लिखित सूचना,—

- (क) उन आधारों की, जिन पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, जानकारी देते हुए; और
- (ख) उसे ऐसे युक्ति-युक्त समय के भोतर, जो उसमें उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के बारे में सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लिखित अभ्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी बांधा करता है तो उस मामले में उसकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए,

नहीं दे दी जाती है।

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विहृष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना, व्रम आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो उपराहा (२) के अधीन सशक्त किए जाएं, निम्नलिखित विषयों को बाबत् इस धारा के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते समय रिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

- (क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;
- (घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(५) इस धारा में अन्तर्विहृष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह संबंधित व्यक्ति को यथास्थिति, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन अधियोजित किए जाने से अद्यता इस अधिनियम या किसी ऐसे विधि के अधीन उस शास्ति या दण्ड से जो इस धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित है, कोई अन्य या उच्चतर शास्ति के लिए दायी होने से निवारित करती है :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

३७. (१) धारा ३६ के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से व्याधित कोई व्यक्ति,—

अधीन.

- (क) जहां शास्ति व्रम आयुक्त द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां राज्य सरकार को;
- (ख) जहां शास्ति व्रम आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,

ऐसी शास्ति के अधिरोपण की ऐसे व्यक्ति को संसूचना की तारीख से तीन मास को कालावधि के भीतर अपील कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी, तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के भीतर ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(२) अधीन प्राधिकारी, अधीनार्थी को, यदि वह ऐसी चाँच करता है, तो सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी अतिरिक्त चाँच, यदि कोई हो, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके बिल्ड अधीन की गई है, पुष्ट करते हुए, उसे उपान्तरित करते हुए या उसे उलटते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे अथवा मामले को ऐसे निर्देश के साथ, जो वह उचित समझे, नए विनिश्चय के लिए बापस भेज सकेगा.

जुमने की वसूली.

३८. जहां आरा ३६ के अधीन किसी व्यक्ति पर अधिरोपित किसी जुमने का संदाय नहीं किया जाता है वहां,—

(एक) यथास्थिति, ब्रम आयुक या आरा ३६ की उपराधा (२) के अधीन सशक्त अन्य अधिकारी इस प्रकार संदेय रकम को, ऐसे व्यक्ति के माल को, जो उसके नियंत्रण के अधीन है, प्रतिपृत करके या उसका विक्रय करके वसूल कर सकेगा; या

(दो) यदि रकम छण्ड (एक) में उपबंधित रीति से ऐसे व्यक्ति से वसूल नहीं की जा सकती है, तो यथास्थिति, ब्रम आयुक या राज्य सरकार द्वारा सशक्त अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र तैयार कर सकेगा जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे और उसे उस जिले के कलक्टर को जिसमें ऐसा व्यक्ति किसी संपत्ति का स्वामी है या निवास करता है या अपना कारबाह करता है, भेजेगा और उक्त कलक्टर ऐसे प्रमाण-पत्र के प्राप्त होने पर उसमें विनिर्दिष्ट रकम को ऐसे व्यक्ति से वसूल करने के लिए वैसे ही अप्रसर होगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया है.

कम्पनियों द्वारा अपराध.

३९. (१) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहां ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के लिए जाने के समय उस कम्पनी के कारबाह के संचालन के लिए, उस कम्पनी का भारसापक और उसके प्रति उत्तरदायी या और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने बिल्ड कार्यवाही किए जावे और दण्डित किए जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उपराध में अन्तर्विष्ट कोई चात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह सामित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(२) उपराधा (१) में अन्तर्विष्ट किसी चात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह सामित हो जाए कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेशा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने बिल्ड कार्यवाही किए जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.—इस आरा के प्रयोजनों के लिए,—

- (क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम है; या
- (ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

अपराधों का संज्ञान

४०. (१) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान ब्रम आयुक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राप्तिकृत किसी अन्य अधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी से,—

- (क) किसी निरीक्षक द्वारा; या
- (ख) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (१८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी स्वैच्छिक संगठन के पदाधिकारी द्वारा; या

(२) उपराण (१) के अधीन कोई शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा या सहायक श्रम आयुक्त से अनिम्न श्रेणी के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जाए, अधिरोपित की जा सकेगी।

(३) कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक वह संबंधित व्यक्ति को लिखित सूचना,—

- (क) उन आधारों की, जिन पर शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव है, जानकारी देते हुए; और
- (ख) उसे ऐसे युक्ति-युक्त समय के भीतर, जो उसमें उल्लिखित शास्ति के अधिरोपण के बारे में सूचना में विविरित किया जाए, लिखित अध्यावेदन करने का और यदि वह ऐसी बांधा करता है तो उस मापदंड में उसकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए,

नहीं दे दी जाती है।

(४) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना, श्रम आयुक्त और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जो उपराण (२) के अधीन सशक्त किए जाएं, निम्नलिखित विषयों की बाबत् इस धारा के अधीन किहीं शक्तियों का प्रयोग करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियों प्राप्त होंगी, अर्थात् :—

- (क) साक्षियों को समन करना और हाजिर करना;
- (ख) किसी दस्तावेज के प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
- (ग) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;
- (घ) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना; और
- (ङ) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना।

(५) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं सामाय जाएगा कि वह संबंधित व्यक्ति को यथास्थिति, इस अधिनियम या किसी अन्य विधि द्वारा दण्डनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन अधियोजित किए जाने से अथवा इस अधिनियम या किसी ऐसे विधि के अधीन उस शास्ति या दण्ड से जो इस धारा द्वारा उस अपराध के लिए उपबंधित है, कोई अन्य या उच्चतर शास्ति के लिए दायी होने से निवारित करती है :

परन्तु किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित नहीं किया जाएगा।

३७. (१) धारा ३६ के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से व्यवहित कोई व्यक्ति,—

अधीन.

- (क) जहां शास्ति श्रम आयुक्त द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां राज्य सरकार को;
- (ख) जहां शास्ति श्रम आयुक्त के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा अधिरोपित की गई है, वहां ऐसे प्राधिकारी को, जो विहित किया जाए,

ऐसी शास्ति के अधिरोपण की ऐसे व्यक्ति को संसूचना की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर अधीन कर सकेगा :

परन्तु यदि, यथास्थिति राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अपीलाधी, तीन मास की उक्त कालावधि के भीतर अधीन करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह तीन मास की अतिरिक्त कालावधि के भीतर ऐसी अधीन करने के लिए अनुमति कर सकेगा।

- (ग) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन किसी रजिस्ट्रीकृत किसी संबंधित व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी द्वारा, किए गए परिवाद पर ही करेगा अन्यथा नहीं।
- (र) प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अगर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

४१. कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का संहान तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसके लिए परिवाद उस तारीख से, जिसको अभिकथित अपराध के किए जाने की जानकारी, यथास्थिति, निरीक्षक, किसी स्वैच्छिक संगठन के किसी पदाधिकारी या संबंधित किसी व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी को हुई, तीन मास के भीतर नहीं कर दिया जाता है।

#### अध्याय-८

##### प्रकीर्ण

४२. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तथा ऐसी कालावधि के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के समस्त उपबंधों या किसी उपबंध के प्रवर्तन से किसी अनुसूचित नियोजन में या किसी स्थापना में या किसी स्थापना के किसी भाग में नियोजित समस्त असंगठित कर्मकारों या उनके किसी वर्ग या वर्गों को छूट दे सकेगी यदि सरकार की राय में समस्त ऐसे असंगठित कर्मकार या कर्मकारों का ऐसा वर्ग या ऐसे वर्ग ऐसी प्रत्युत्तियों का उपभोग कर रहे हैं जो कि संपूर्ण रूप में ऐसे असंगठित कर्मकारों के लिए उससे कम अनुकूल नहीं हैं जो कि इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उपबंधित हैं :

छूट देने की शर्तः

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, विनिर्दिष्ट किए जाने वाले कारणों से उपरोक्त अधिसूचना को विखण्डित कर सकेगी।

४३. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन माह की सूचना देने के पश्चात् वैसी ही अधिसूचना द्वारा अनुसूची के किसी भी मद को उपांतरित कर सकेगी या ऐसे किसी नियोजन को, जिसके संबंध में यह राय हो कि उसे इस अधिनियम के उपबंध लागू होना चाहिए, अनुसूची में जोड़ सकेगी और तब यथा-उपांतरित या जोड़ गये ऐसे नियोजन को इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

अनुसूची का संशोधनः

४४. (१) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जोड़ यथास्थिति उपधारा (२) या उपधारा (३) में विनिर्दिष्ट निकायों में से एक या अधिक निकायों को अपनी ओर से निम्नलिखित समस्त कृत्यों या किसी कृत्य का पालन करने के लिए अपने अधिकर्ता नियुक्त कर सकेगी, अर्थात् :—

अधिकर्ताओं को नियुक्त करने की जोड़ की शर्तः

- (एक) सदस्यों और/या नियोजकों का रजिस्ट्रीकरण,
- (दो) सदस्यों और/या नियोजकों से अभिदाय का संग्रहण,
- (तीन) सदस्यों को परिचय-पत्र का जारी करना तथा उनका नवीनीकरण,
- (चार) प्रसुविधा प्रदान करने के लिए सदस्यों से आवेदन के प्राप्ति प्राप्त करना, ऐसे आवेदनों को प्रक्रिया में लाना तथा प्रसुविधा की भंजूरी देना,
- (पांच) जोड़ द्वारा या उसकी ओर से दिये गये किसी ऋण या अधिग्राहण को किसी तरह का संग्रहण;

परन्तु नियोजकों के रजिस्ट्रीकरण तथा उनके अभिदायों के संग्रहण का कृत्य केवल उन्हीं स्थानीय निकायों को समनुदेशित किया जाएगा, जिन्हें अधिकर्ता के रूप में नियुक्त किया जाए।

(२) मध्यप्रदेश ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड निम्नलिखित निकायों में से किसी एक या अधिक को उपचारा (१) के अधीन अधिकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकेगा :—

- (एक) मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, १९९३ (क्रमांक १ सन् १९९३) के अधीन गठित जिला या जनपद पंचायत;
- (दो) मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगर पंचायत;
- (तीन) मध्यप्रदेश राज्य सभु बोगेपज (ब्यापार एवं विकास) सहकारी संघ या उसका कोई घटक जिला सहकारी संघ;
- (चार) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध महासंघ या उसका कोई घटक संभागीय सहकारी संघ;
- (पांच) मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ या उसका कोई घटक जिला सहकारी संघ;
- (छह) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अन्य सहकारी सोसाइटी;
- (सात) किसी केन्द्रीय या राज्य विधान के अधीन गठित कोई श्रम कल्याण बोर्ड जो किसी भी नाम से जाना जाता हो;
- (आठ) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ;
- (नौ) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सी.

(३) मध्यप्रदेश नगरीय असंगठित कर्मकार कल्याण बोर्ड उपचारा (१) के अधीन निम्नलिखित निकायों में से किसी एक या अधिक को अधिकर्ता नियुक्त कर सकेगा, अर्थात् :—

- (एक) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ (क्रमांक २३ सन् १९५६) के अधीन गठित नगरपालिक निगम या मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १९६१ (क्रमांक ३७ सन् १९६१) के अधीन गठित नगरपालिका परिषद;
- (दो) जिला नगरीय विकास अभिकरण;
- (तीन) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १९६० (क्रमांक १७ सन् १९६१) या मध्यप्रदेश स्वायत्त सहकारिता अधिनियम, १९९९ (क्रमांक २ सन् २०००) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी;
- (चार) केन्द्रीय या राज्य विधान के अधीन गठित कोई श्रम कल्याण बोर्ड जो किसी भी नाम से जाना जाता हो;
- (पांच) व्यवसाय संघ अधिनियम, १९२६ (१९२६ का १६) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ; या
- (छह) मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत तथा असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए कार्य करने वाली कोई स्वैच्छिक एजेन्सी.

(४) नगरपालिक निगम, नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, जिला पंचायत तथा जनपद पंचायत से भिन्न किसी अन्य निकाय को यथास्थिति उपचारा (२) या उपचारा (३) के अधीन अपना अधिकर्ता नियुक्त करने के पूर्व बोर्ड ऐसे निकाय की पूर्व सहमति प्राप्त करेगा।

(५) बोर्ड अपने अधिकारीओं की नियुक्ति, उनके कार्यकरण तथा ऐसे अधिकारीओं के बोर्ड से संबंध को विनियमित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

४५. बोर्ड, साधरण या विशेष आदेश द्वारा बोर्ड के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) या किसी अन्य सदस्य को या सचिव या किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी को ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के, यदि कोई हो, अधिधीन रहते हुए जो उन्हें अदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शर्तियों और कर्तव्यों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

४६. (१) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम में अन्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जिला योजना समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह जिले में इस अधिनियम के कार्यान्वयन का पुनर्विलोकन तथा अनुब्रवण प्रत्येक उह मास में कम से कम एक बार अपने सम्मिलन में करे।

इकाइयों  
प्रत्यायोजन।

जिला योजना समिति  
द्वारा जिले में  
अधिनियम के  
कार्यान्वयन का  
अनुब्रवण किया  
जाए।

(२) उपराण (१) में निर्दिष्ट प्रत्येक पुनर्विलोकन सम्मिलन में समिति के सदस्यों के अलावा (क) असंगठित कर्मकारों, (ख) उनके नियोजकों, और (ग) जिले में स्थित विशेषज्ञों, सक्रिय कार्यकर्ताओं एवं विविध स्वैच्छिक ऐजेंसियों में से प्रत्येक के कम से कम तीन तथा अधिक से अधिक पांच प्रतिनिधियों को "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) के रूप में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

(३) उपराण (२) में निर्दिष्ट "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) को सम्मिलन में विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(४) उपराण (२) में निर्दिष्ट "हितधारी" (स्टेकहोल्डर) समिति के अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्य सचिव के परामर्श से एक बार में दो बार की कालावधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु किसी हितधारी (स्टेकहोल्डर) का कार्यकाल उस समय तक चालू रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नामनिर्दिष्ट न कर दिए जाएं।

(५) जिला योजना समिति उपराण (१) में निर्दिष्ट अपने कर्तव्य किसी उपसमिति को समनुदेशित कर सकेगी :

परन्तु उपसमिति द्वारा ऐसी उप समिति की प्रत्येक पुनर्विलोकन सम्मिलन में हितधारियों (स्टेकहोल्डर्स) को भी उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.—(१) इस धारा के प्रयोजन के लिए "जिला योजना समिति" और उसकी "उपसमिति" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १९ सन् १९९५) की क्रमसः धारा ३ तथा ९ के अधीन गठित समिति या उपसमिति।

(२) उपराण (२) के प्रयोजनों के लिए शब्द "सदस्यों" में उपर्युक्त अधिनियम की धारा ५ में निर्दिष्ट विशेष आमंत्रित भी सम्मिलित हैं।

४७. बोर्ड, समय-समय पर राज्य सरकार को ऐसी विवरणियां देगा जिनकी वह अपेक्षा करे,

विवरणियां।

४८. (१) इस अधिनियम अध्यक्ष उपरके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, कोई भी बाद, अधियोजन या अन्य विभिन्न कार्यवाही, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

सद्भावपूर्वक यी  
गई कार्रवाई के लिए  
संरक्षण।

(२) इस अधिनियम अधयवा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आवश्यित किसी घात के होते हुए या हो सकने वाले किसी नुकसान के लिए, कोई भी अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार, किसी बोर्ड या इस अधिनियम के अधीन गठित समितियों या ऐसे बोर्ड या किसी सदस्य या राज्य सरकार या बोर्ड के किसी अधिकारी या कर्मचारी या सरकार या किसी बोर्ड या समिति द्वारा प्राप्तिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

निदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति।

५०. यदि इस-अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अपेक्षा द्वारा, 'ऐसे उपबंध कर सकेंगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

५१. (१) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वयित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(२) विशिष्टतया और पूर्वागमी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) धारा ३ की उपधारा (४) के अधीन बोर्ड के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निवन्धन तथा शर्तें, उनको संदेश वेतन तथा अन्य भत्ते और उनके पदों में आकस्मिक नियुक्तियों को भरने की रीति;
- (ख) धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन बोर्ड के सम्मिलन का समय और स्थान तथा ऐसे सम्मिलन में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के नियम जिनके अन्तर्गत कारबार के संबंधवाहार के लिए आवश्यक गणपूर्ति भी हैं;
- (ग) प्रसुविधा, जो धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन दी जाएँ;
- (घ) धारा ७ की उपधारा (५) के खण्ड (ख) के अधीन स्थानीय प्राधिकारियों और कर्मचारियों को संदेश सहायता अनुदान की सीमा;
- (ङ) वह प्ररूप, जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा १० के अधीन बोर्ड का बजट तैयार किया जाएगा और सरकार को भेजा जाएगा;
- (च) वह प्ररूप जिसमें और वह समय जिसके भीतर धारा ११ के अधीन बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएगी;
- (छ) धारा १२ की उपधारा (३) के अधीन लेखाओं के वार्षिक विवरण का प्ररूप और वह तारीख जिसके पूर्व उपधारा (३) के अधीन संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ लेखाओं की संपरीक्षित प्रति दी जाएगी;
- (ज) उन रजिस्टरों का प्ररूप जो धारा १४ की उपधारा (७) के अधीन संधारित किए जाएंगे;
- (झ) वे प्रसुविधाएं, जो धारा १६ की उपधारा (२) के अधीन दी जा सकेंगी;
- (ञ) उन रजिस्टरों का प्ररूप जो धारा १७ के अधीन नियोजक द्वारा संधारित किए जाएंगे;
- (ट) धारा २२ की उपधारा (२) के अधीन आवेदन का प्ररूप, वे विशिष्टियां जो उसमें होंगी और संदर्भ की जाने वाली फोर्म;



- (३) धारा २२ की उपधारा (३) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का प्रस्तुप, वह समय जिसके भीतर और वे शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए ऐसा प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा;
- (४) वह प्रस्तुप जिसमें स्वामित्व या प्रबंध में परिवर्तन या अन्य विशिष्टियों की सूचना धारा २२ की उपधारा (४) के अधीन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दी जाएगी;
- (५) वह प्रस्तुप जिसमें धारा २६ की उपधारा (५) के अधीन बोर्ड द्वारा नियोजक को मांग सूचना जारी की जाएगी;
- (६) वे शक्तियां जिनका धारा २० की उपधारा (१) के खण्ड (३) के अधीन किसी निरीक्षक द्वारा प्रयोग किया जा सकेगा;
- (७) वह रीति जिसमें क्रमशः धारा २९, ३० तथा ३१ के अधीन उद्दृग्हीत किया गया अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, मोटरयान कर तथा कल्याण उपकर और धारा ३२ के अधीन पृष्ठक् रखी गयी रायल्टी या अनिवार्य भाटक संग्रहीत तथा राज्य की संचित निधि में जमा किया जाएगा;
- (८) वह रीति जिसमें धारा २९ के अधीन वसूल की गई रकम धारा ३३ के अधीन दो निधियों के बीच प्रभावित की जाएगी;
- (९) धारा ३४ की उपधारा (५) के अधीन कल्याण उपकर के संग्रहण तथा सेखा रखने और उसे बोर्ड को अंतरित करने की प्रक्रिया;
- (१०) वह प्राधिकारी जिसे धारा ३७ की उपधारा (१) के अधीन अपील की जाएगी;
- (११) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए,

(३) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथारीप्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

५२. (१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से अपने कारबार को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों।

विनियम बनाने की  
शक्ति.

(२) विशिष्टतया और उपधारा (१) की शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव ढाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

- (क) बोर्ड के सचिव तथा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की धारा ४ की उपधारा (३) के अधीन नियुक्ति का ढंग, सेवा के निबंधन तथा शर्तें और उनको संदेय घेतन तथा भर्ते;
- (ख) बोर्ड की उपसमितियों का गठन, बोर्ड के कृत्य तथा शक्तियां जो ऐसी उपसमितियां प्रयोग करें तथा वह रीति जिसमें वह ऐसा कर सकती है :

परन्तु बोर्ड की प्रत्येक उपसमिति में प्रतिनिधित्व कर रहे असंगठित कर्मकारों के सदस्य तथा उनके नियोजकों को सदैव समान संख्या समाविष्ट होगी;

- (ग) वह प्रस्तुप, जिसमें सदस्य के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन धारा १४ की उपधारा (३) के अधीन किया जाएगा;

- (ए) वह दस्तावेज तथा फीस जो धारा १४ की उपधारा (४) के अधीन आवेदन के साथ संलग्न होगी;
- (इ) सचिव के अलावा बोर्ड के अधिकारी जो धारा १४ की उपधारा (५) के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध अधीलों की सुनवाई के लिए सक्षम होंगे;
- (ब) वह प्ररूप, जिसमें धारा १५ के अधीन सदस्यों को परिचय-पत्र जारी किए जाएंगे;
- (छ) सदस्यों के भिन्न-भिन्न प्रवर्गों द्वारा देय अभिदाय की दरें तथा उनके संग्रहण की रीति;
- (ज) बोर्ड को नियोजकों के अभिदाय के भुगतान का ढंग;
- (झ) धारा ४४ के अधीन अधिकारीओं की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया, उनके कृत्यों की प्रक्रिया तथा वह रीति जिसमें बोर्ड उनके कामकाज का पर्यवेक्षण करेगा.

बोर्ड द्वारा स्कीमों का

५३. (१) बोर्ड, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से धारा ७ की उपधारा (२) के अधीन सदस्यों को प्रसुविधा हैयार किया जाना। देने के लिए स्कीम हैयार कर सकेगा।

(२) स्कीम में निम्नलिखित विषयों के बारे में उपबंध किए जा सकेंगे, अर्थात् :—

- (क) प्रसुविधा का प्रकार;
- (ख) पात्रता की शर्तें;
- (ग) व्यक्ति जिसे प्रसुविधा देय होगी;
- (घ) प्रसुविधा देने के लिए माप या दरें;
- (ङ) आवेदन करने के लिए प्रक्रिया तथा प्ररूप;
- (च) मंजूरी के लिये प्रक्रिया तथा वह सक्षम प्राधिकारी जो मंजूरी प्रदान करेगा;
- (छ) संवितरण की प्रक्रिया;
- (ज) निबन्धन तथा शर्तें जिनके अध्यधीन रहते हुए प्रसुविधा दी जाएंगी; और
- (झ) कोई अन्य आनुषंगिक विषय।

कठितपद विधियों की  
व्यावृत्ति।

५४. इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात राज्य में की किसी तत्स्थानी विधि के प्रवर्तन को प्रभावित नहीं करेगी जिसमें इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन असंगठित कर्मकारों के लिए उपबंधित कल्याण स्कीम से अधिक हितकारी उपबंध है।



## अनुसूची

[धारा २ (त) देखें]

## भाग-एक

१. कृषि में नियोजन जिसमें सम्मिलित है उद्घानिकी तथा कृषि प्रसंस्करण.
२. दुग्ध-उद्योग (डेरी), मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा अन्य पशुपालन में नियोजन.
३. मछलीपालन में नियोजन.
४. वानिकी में नियोजन जिसमें सम्मिलित है मुख्य तथा गौण बन उपज के उत्खनन तथा संग्रहण से संबंधित क्रियाकलाप.
५. रेशम-उत्पादन में नियोजन.

## भाग-दो

१. लेटराइट गोलाशम मृत्तिका का निकाला जाना, भवन का पत्थर, सड़क की गिट्टी, बजारी, मुराम, रेत तथा मिट्टी खदान क्रिया तथा उत्खनन में नियोजन.
२. पत्थर को तोड़ने तथा दलने में नियोजन.
३. पकी ईट तथा टाइल बनाने में नियोजन.

## भाग-तीन

१. (क) किसी बाजार या दुकान या डिपो या कारखाना या भांडागार या गोदाम या किसी अन्य स्थापना, एवं (ख) मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) के अधीन गठित मण्डी समितियों के नियंत्रणाधीन कोई बाजार, में लदाई-उत्तराई, ढेर लगाने (स्टॉकिंग), पैकिंग करने, बहन करने, तौलने, मापने और ऐसे ही अन्य शारीरिक कार्य, जिसमें उसकी तैयारी तथा अन्य संसक्त कार्य शामिल हैं, में नियोजन.
२. सार्वजनिक परिवहन यानों में माल की लदाई या उनसे माल की उत्तराई से संबंधित तथा कोई अन्य आनुषंगिक या संसक्त प्रवालन में नियोजन.
३. गोदाम में खाद्यान की लदाई, उत्तराई तथा बहन करना खाद्यानों की छाटाई तथा सफाई, खाद्यानों का बोरों में भरना, ऐसे बोरों की सिलाई करना तथा उनसे तथा आनुषंगिक तथा संसक्त अन्य कार्य में के संबंध में नियोजन.

## भाग-चार

१. खादी, हथकरघा (हैंडलूम) तथा पावरलूम उद्योग में नियोजन.
२. कपड़े का विरचित करना (ब्लीचिंग) रंगाई तथा छपाई में नियोजन.
३. सिलाई में नियोजन.

## भाग-पांच

१. सुगन्धित तीलियां (अगरबत्ती) के बनाने में नियोजन.
२. कढाई, धूप्रपान (स्मार्किंग) तथा तैयार बस्त्र (रेडीमेड गारमेन्ट्स) बनाने में नियोजन.
३. पापड़, अचार, जैम्स, जेली अन्य परिरक्षित खाद्य पदार्थ, पिसे मसाले तथा वास्तक बनाने में नियोजन.
४. खाना बनाने में नियोजन.
५. खिलौने बनाने में नियोजन.



## भाग-छह

१. चमड़े के शोर्पीन तथा प्रसंस्करण में नियोजन.
२. जूते तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं बनाने तथा मरम्मत करने में नियोजन.
३. सफाई तथा झाड़-बहार सेवाओं में नियोजन.

## भाग-सात

१. रैग-पिंकिंग में नियोजन.
२. दरवाजे-दरवाजे (द्वार-द्वार पर) पुराने समाचार-पत्रों (रटी) का संग्रहण (तथा विक्रय) तथा त्यक्त वस्तुएं (कचाड़ी) में नियोजन.
३. बेचने वाला (हॉकर) तथा मार्ट में फेरी लगाकर बेचने वाला (स्ट्रीट बेण्डर) के रूप में नियोजन.

## भाग-आठ

१. मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, १९६१ (१९६१ का २७) में यथा परिभाषित मोटर परिवहन कर्मकार.
२. साइकिल-रिक्शा, आटो-रिक्शा तथा टैक्सी चलाने में ऐसा नियोजन जो "मोटर परिवहन कर्मकार" की श्रेणी में नहीं आता.
३. आटा, तेल, दाल तथा चावल मिल में नियोजन.
४. प्राइवेट सुरक्षा सेवाओं में नियोजन.
५. प्लास्टिक उद्योगों में नियोजन.
६. लकड़ी का काम करने की इकाइयों में नियोजन.
७. बर्टन बनाने में नियोजन.
८. कारोगर (शिल्पी) जैसे सुहार, बदरी, गारा बनाने, चाक बनाने (कुम्हार) आदि में नियोजन.
९. दरी तथा कारपेट बनाने में नियोजन.
१०. आतिशबाजी तथा माचिस उद्योग में नियोजन.
११. हड्डे तथा पैकिंग की अन्य सामग्री बनाने में नियोजन.

भोपाल, दिनांक 16 जुलाई, 2004

क्र. 2836-207-इक्कीस-अ(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश असंगठित कर्मकार कल्याण अधिनियम, 2003 (क्रमांक ९ सन् २००४) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एकद्वारा प्राप्तिः किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एम. पी. नेमा, अतिरिक्त सचिव,